

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 18/304

अहमद अली आत्मज नूर मोहम्मद निवासी ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब, हिण्डोली ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली ।


—रेस्पोजन्ट

उपस्थित :- 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोजन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 05.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2010 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली ने अपने आदेश दिनांक 30.12.2010 के द्वारा ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 2567 में से 0.12 बिस्वा भूमि शमशान रेगर समाज कच्चा शमशान हेतु सेट अपार्ट करने का आदेश पारित किया ।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।
4. अपीलान्ट ने अपील के साथ अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के गैर खातेदारी कब्जे काशत की आराजी खसरा नम्बर 3958/2567 रकबा 03 बीघा ग्राम बडोदिया के सहारे सडक एवं उक्त भूमि के मध्य आने -जाने के रास्ते पर कच्चे शमशान बनाये जाने हेतु 12 बिस्वा भूमि सेट-अपार्ट करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है ।




प्रकार अपीलान्त उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्त को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

3. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त ने स्वयं को अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने का निवेदन किया है और अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है । हम न्यायहित में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्त को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हैं ।
6. अपीलान्त ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करते समय अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलान्त को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.05.2018 को कुछ लोगों द्वारा उक्त आदेश के बारे में बताने पर हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
7. अपील अपीलान्त सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अपीलान्त के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । उक्त अपीलाधीन आरक्षित भूमि पर होकर अपीलान्त अपना गैर खातेदारी की भूमि पर आम सडक से आता-जाता है । अपीलाधीन आरक्षित भूमि एवं सडक के मध्य स्थित एक 25-30 फिट चौड़ी पट्टी है जिस पर होकर खेत पर आने-जाने का अपीलान्त को वैधानिक अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2010 निरस्त फरमाया जावे ।
9. रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि से अपीलान्त का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 9 (7) राज.6/2010/38 दिनांक 10.11.2010 के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय सिवायचक भूमि को आरक्षित सेट-अपार्ट की स्वीकृति आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2010 बहाल रखा जावे ।

न पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस को मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्त द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि उक्त अपीलाधीन आरक्षित भूमि पर होकर अपीलान्त अपना गैर खातेदारी की भूमि पर आम सडक से आता-जाता है । अपीलाधीन आरक्षित भूमि एवं सडक के मध्य स्थित एक 25-30 फिट चौड़ी पट्टी है जिस पर होकर खेत पर आने-जाने का अपीलान्त को वैधानिक अधिकार प्राप्त है - चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त ने स्वयं को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाना बताया है । न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्त को अपीलाधीन निर्णय से व्यथित पक्षकार होना माना है ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।
12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
13. निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(पंकज कुमार ओझा)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा